न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 72 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

दुखहरण मुण्डा..... प्रथम पक्ष

बनाम

रघु मुण्डा वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
22-12-2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, राहे ओ० पी० के अग्राथमिकी सं०–17 / 2017 दिनांक–23 / 05 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद जमीन विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाही– प्रथन पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 खुदीराम मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच में जमीन का विवाद है, विवादित जमीन का खाता सं–14, 15 है, प्लॉट याद नहीं है रकवा 23 एकड़ लगभग है। उक्त खाता के खतियान का रैयत शामू मुण्डा है जिसके वंशावली के अनुसार 3 पुत्र मंगल मुण्डा, शमल मुण्डा एवं जादू मुण्डा है। शमल मुण्डा नावल्द है उसी के जमीन को लेकर उभय पक्ष में विवाद है। शगल मुण्डा के जमीन पर दोनों का अधिकार है। द्वितीय पक्ष के लोग नावल्द जमीन पर हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के लोग शामल मुण्डा की जमीन पर 5–6 साल से खेती कर रहे हैं। उभय पक्ष के बीच पहले भी केस हुआ है। उभय पक्ष में विवाद एवं बातावाती हुआ है नारा मारी नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 रविनाथ सिंह मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर झगड़ा है। खतियानी रैयत शमल मुण्डा नावल्द हो गए उसी के बंटवारा को लेकर विवाद चल रहा है। झगड़ा ढेर दिन से हो रहा है। 23 / 05 / 2017 को झगड़ा हुआ। 23 / 05 / 2017 के दिन झगड़ा होते मैं नहीं देखा, आदमी सब बोलता है। झगड़ा के दिन मारपीट नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं हुआ था। अभी विवादित जमीन में खेती बारी द्वितीय पक्ष करते हैं।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–03 दुखहरण मुण्डा (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष के साथ नावल्द जमीन को लेकर हमलोगों का झगड़ा है। हमलोग खेत में बीज छींट रहे थे तब द्वितीय पक्ष से झगड़ा झंझट हुआ। हमलोगों के साथ द्वितीय पक्ष नारपीट नहीं किया था हमलोग डर से भाग गए, नावल्द जनीन में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। केस होने के बाद द्वितीय पक्ष धमकी चमकी नहीं दिया है।

द्वितीय पक्ष गवाही–

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 जीतलाल स्वांसी ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है, खाता सं० 14, 15 मौजा सिरीडीह की जनीन को लेकर विवाद है, खाता 14, 15 चामू मुण्डा की जमीन है वर्त्तमान में 2–4 दिन पहले उभय पक्ष में झगड़ा हुआ है, जनीन को लेकर दुखहरण झगड़ा करता है। इस जमीन में पहले भी मुकदमा हुआ है कौन जीता है इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–02 रामेश्वर मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जमीन को लेकर उभय पक्ष में झगड़ा है, विवादित जनीन का खाता नं० 14, 15 है। ये जगीन खतियान में चामू मुण्डा के नाम से दर्ज है। 14, 15 खाता को लेकर उभय पक्ष में पहले भी विवाद हुआ था, जमीन को ही लेकर मुकदमा चला था। वर्त्तमान में खाता सं०–14, 15 में लगभग 5 एकड़ जमीन पर प्रथम पक्ष खेती करता है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–03 कान्तो मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि केस दुखहरण मुण्डा ने किया है, जमीन जगह को लेकर केस किया है उक्त जमीन चामू मुण्डा के नाम से खतियान में दर्ज है। उक्त जमीन में पहले भी केस मुकदमा हुआ था 107 और 144 धारा का केस हुआ था। प्रथम पक्ष खाता सं० 14, 15 खाता में दावेदारी को लेकर हमलोग से झगड़ा करता है आलू पटाने को लेकर उभय पक्ष में विवाद हुआ था। उभय पक्ष में लगभग 10 साल से जमीन विवाद चल रहा है। आलू पटाने के विवाद से उभय पक्ष में कोई झगड़ा नहीं हुआ है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जगीन को लेकर विवाद है। उभय पक्ष आपस में भईयाद है और मूलतः खतियानी जमीन में हिस्सा बंटवारा को लेकर विवाद हो रहा है। सारे गवाहों एवे कारण पृच्छा से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष में शांति भंग नहीं हुई है और ना ही वाद की कार्रवाई के दौरान शांति भंग होने के संभावना की पुष्टि हो पाई है। अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है। आहत पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

22/12/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।